

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3702/2023

1. Pankaj Kumar Dube S/o Late Nigamswaroop Dube, Aged About 47 Years,
2. Vinayak Dube S/o Pankaj Kumar Dube, Aged About 20 Years,
3. Smt. Saroj Dube W/o Late Nigamswaroop Dube, Aged About 66 Years,  
All R/o Ward No. 21, Kanyakunj Mohalla, Tehsil Raja Kheda, Distt. Dholpur, Rajasthan.

----Claimants/Appellants

Versus

1. Ramavtar Meena S/o Revadya Meena, Aged About 29 Years, R/o Kheerkhadi, Tehsil Sapotra, Distt. Karoli, Rajasthan (Driver Of Vehicle Bus No. RJ 10 PA 6520)
2. Ramkhiladi Meena S/o Sanwalram Meena, R/o Village Khatumber, Tehsil Lalsot, Distt. Dausa, Rajasthan (Registered Owner Of Vehicle Bus No. RJ 10 PA 6520)
3. The New India Insurance Company Ltd., Through Branch Manager, Branch Office, 7 Civil Line, Indra Colony, Bajariya, Sawai Madhopur  
(Insurer Of Vehicle Bus No. RJ 10 PA 6520)
4. Vikram Dube S/o Sh. Pankaj Kumar Dube, Aged About 19 Years, R/o Ward No. 21, Kanyakunj Mohalla, Tehsil Rajakheda, Distt. Dholpur.  
(Name Of The Said Respondent Deleted In Compliance Of The Order Dated 18.11.2022)
5. Pankaj Kumar Dube S/o Late Nigamswaroop Dube, Aged About 47 Years,
6. Vinayak Dube S/ O Pankaj Kumar Dube, Aged About 20 Years,  
Both R/o Ward No. 21, Kanyakunj Mohalla, Tehsil Raja Kheda, Distt. Dholpur,  
[Name of the respondent no. 5 & 6 Deleted In Compliance Of The Order Dated 24.04.2023]

-----Opposite Party-Non Claimants-Respondents

---

For Appellant(s) : Mr. Lakshay Sharma, Adv. for  
Mr. L.L. Gupta, Adv.  
For Respondent(s) : Mr. Lokesh Parihar, Adv.

---

**HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**

**Judgment**

**06/05/2026**

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण सवाई माधोपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-19/2021 पंकज कुमार दुबे व अन्य बनाम रामावतार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2023 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष सोनिया की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 3,76,18,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए अपीलार्थीगण को कुल 74,07,845/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका की निर्धारित वार्षिक आय 9,11,520/- रुपये पर 20 प्रतिशत की आयकर कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को

स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 04.12.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतका सोनिया को वरिष्ठ सरकारी अध्यापक का कार्य कर 75,960/- रुपये सकल वेतन के रूप में प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया गया है। उक्त आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से मृतका की नवंबर 2019 की वेतन स्लिप प्रदर्श-15 प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका का सकल वेतन 75,960/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाकर 9,11,520/- रुपये वार्षिक आय निर्धारित की गई, जिस पर 20 प्रतिशत की आयकर कटौती करने के पश्चात् मृतका की कुल वार्षिक आय 7,29,216/- रुपये संगणित की गई।

7. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका की निर्धारित वार्षिक आय 9,11,520/- रुपये में से कुल 1,82,304/- रुपये की आयकर कटौती की गई है, जबकि उक्त वर्ष की स्लैब के अनुसार आयकर कटौती की जाएगी। उक्त आय में से तत्समय आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2,50,000/- रुपये तक की आय पर आयकर शून्य, 2,50,001/- रुपये से 5,00,000/- रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत तथा 5,00,001/- रुपये से 10,00,000/- रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत आयकर देय था। 2,50,001/- रुपये से 5,00,000/- रुपये तक 5 प्रतिशत आयकर कटौती 12,500/- रुपये होती है तथा मृतका की निर्धारित वार्षिक आय 9,11,520/- रुपये में से 5,00,000/- रुपये घटाने के उपरांत शेष राशि 4,11,520/- रुपये की 20 प्रतिशत आयकर कटौती 82,304/- रुपये होती है, इस प्रकार कुल  $12,500 + 82,304 = 94,804/-$  रुपये की राशि मृतका की निर्धारित वार्षिक आय में से आयकर

कटौती के रूप में काटा जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय आयकर राशि 94,804/- रुपये को मृतका की निर्धारित वार्षिक आय 9,11,520/- रुपये में से घटाते हुए मृतका की कुल **वार्षिक आय 8,16,716/- रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझती है।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका के सेवा अभिलेख प्रमाण पत्र की फोटोप्रति में अंकित जन्मतिथि के आधार पर वक्त घटना मृतका को 50 वर्ष 2 माह की आयु की वेतनभोगी कर्मचारी होना मानते हुए मृतका की निर्धारित मासिक आय पर 15 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की गई है। इस संबंध में हमारा मानना यह है कि वक्त घटना मृतका की आयु 50 वर्ष से तो अधिक थी, किन्तु मृतका पूर्ण रूप से 51 वर्ष आयु की नहीं हुई थी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **M.H. Uma Maheshwari & Ors. Vs.**

**United India Insurance Co. Ltd. & Anr.** reported in **2020 (2)**

**R.A.R. 185 (SC)** में यह मत व्यक्त किया है कि :-

"9. The Tribunal, by recording a finding that the deceased was in the age group of 40 to 50 years, applied the multiplier of 13 while calculating the compensation. The High Court, curiously while maintaining the multiplier of 13 as per the judgment of this Court in compensation only on the ground that the deceased was aged 50 years 3 months on the date of the accident, as such the compensation is to be calculated on account of loss of dependency by granting future prospects at 15% but not 30%. So far as the application of multiplier of 13 by the Tribunal is concerned, the High Court has not interfered with the same. When the age of the deceased was considered in the group of 40 to 50 years, we are of the view that the High Court has committed error in granting only 15% towards future prospects instead of 30%. As per the judgments of this Court, primarily the age group is to be considered. Considering the age group as 40 to 50 years, when the multiplier of 13 is maintained by the High Court, there is no reason or justification for reducing the compensation

by granting 15% towards future prospects. Though the learned counsel appearing for Respondent 1 Insurance Company has submitted that the compensation towards future prospects was awarded as per the Constitution Bench judgment of this Court in National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi<sup>3</sup> but at the same time it is to be noticed that in the very same judgment in para 59.3, while considering the grant of future prospects, this Court has specifically said that the addition should be 30% if the age of the deceased was in the age group of 40 to 50 years. For application of multiplier, the High Court has also accepted the age group of the deceased between 40 and 50 years. In that view of the matter, there is no reason for reducing the compensation by granting future prospects at 15% only."

9. इस प्रकार एम.एच. उमा महेश्वरी (उपरोक्त) के मामले में पारित मतानुसार यह न्यायालय मृतका को वक्त घटना 50 वर्ष से कम आयु के वर्ग में मानते हुए नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680 के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतका की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित वार्षिक आय में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना उचित समझती है। वार्षिक आय 8,16,716/— रुपये के 30 प्रतिशत 2,45,015/— रुपये को निर्धारित वार्षिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतका की कुल शुद्ध वार्षिक आय 10,61,731/— रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।
10. वक्त घटना मृतका के ऊपर 3 आश्रित बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में मृतका के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 10,61,731/—रुपये का 1/3 भाग 3,53,910/—रुपये होता है, जिसे निर्धारित वार्षिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 7,07,821/—रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका को 46 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के मध्य होना निर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट

**कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतका की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **13 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतका की निर्धारित वार्षिक आय 7,07,821 /— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति **7,07,821 x 13 = 92,01,673 /—रुपये** होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में अपीलार्थी संख्या-1 व 2 तथा प्रत्यर्थी संख्या-4 को **कुल 1,20,000 /— रुपये** की राशि दिलवाई गयी है, जो न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहुरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है। चूंकि मृतका की सास को कंसोर्टियम की मद में राशि दिलवाये जाने की कोई विधि वर्तमान में लागू नहीं है, इसलिए उक्त मद में मृतका की सास अपीलार्थिया संख्या-3 कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गई है जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में 5,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जिसे संशोधित करते हुए **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम अपीलार्थीगण को 15,000 /— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

| क्रम सं.                                                | शीर्ष/मद                     | इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.                                                      | आश्रित आय की क्षति के मद में | 92,01,673 /—                                       |
| 2.                                                      | कंसोर्टियम के मद में         | 1,20,000 /—                                        |
| 3.                                                      | अंतिम संस्कार के मद में      | 15,000 /—                                          |
| 4.                                                      | सम्पदा की हानि के मद में     | 15,000 /—                                          |
| इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि |                              | 93,51,673 /—                                       |
| विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)    |                              | 74,07,845 /—                                       |
| बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर                |                              | 19,43,828 /—                                       |

15. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा कि अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **74,07,845 /— रूपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **93,51,673 /— रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।
16. अपीलार्थी संख्या—1 पंकज जो कि मृतका का पति है, जिसे यह न्यायालय निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से 5 लाख रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझती है।
17. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
18. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
19. सभी लम्बित प्रार्थना—पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J